अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 653(अ).— बीमा (न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा जांच कराने संबंधी प्रक्रिया) नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उप-धारा (2) के खण्ड (ठक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, एतद्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी जिनसे इनके प्रभावित होने की संभावना है, के लिए प्रकाशित किए जाते हैं, और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम को उस तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात भारत के राजपत्र में प्रकाशन के लिए लिया जाएगा,जिस तारीख को प्रारूप नियमों की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं।

उन व्यक्तियों, जिनके प्रभावित होने की संभावना है, से आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप भवन, तृतीय तल, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001 को भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप नियमों के संबंध में उपर्युक्त अवधि के भीतर प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:

(1) इन नियमों को बीमा (न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा जांच कराने संबंधी प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. बीमा (न्यायनिर्णयक अधिकारी द्वारा जांच कराने संबंधी प्रक्रिया) नियम, 2016 में, नियम 4 में,

(i) उप-नियम (1) में, -

(क) शब्दों, आंकड़ों, अक्षरों और कोष्ठकों "अथवा धारा 42घ की उप-धारा (8) और (9)" का लोप किया जाएगा;

(ख) शब्दों, आंकड़ों और अक्षरों "अथवा धारा 105ख" के पश्चात शब्दों, आंकड़ों और अक्षरों "अथवा धारा 105खक" अंतर्विष्ट किए जाएंगे।

(ii) उप-नियम (2) के खण्ड (ख) में, उप- खण्ड (ii) में, -

(क) " मध्यवर्ती " शब्द के स्थान पर, "बीमा मध्यवर्ती" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) उप-नियम (5) में, -

(क) शब्दों, आंकड़ों और कोष्ठकों "साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 11)" के स्थान पर शब्दों, आंकड़ों और कोष्ठकों "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं.12018/02/2021-बीमा-II]

डॉ. देबाशीष पृष्टी, अतिरिक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.178 (अ), तारीख 17 फरवरी, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2026

G.S.R. 653(E).— Draft rules to amend the Insurance (Procedure for Holding Inquiry by Adjudicating Officer) Rules, 2016, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (la) of sub-section (2) of section 114 of the Insurance Act, 1938, are hereby published for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken for publication in the Gazette of India after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the draft rules are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, from persons likely to be affected may be addressed to the Secretary, Ministry of Finance, Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, 3rd floor, Sansad Marg, New Delhi 110001.

Objections or suggestions that may be received from persons likely to be affected with respect to the draft rules within the aforesaid period shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement:

(1) These rules may be called the Insurance (Procedure for Holding Inquiry by Adjudicating Officer) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insurance (Procedure for Holding Inquiry by Adjudicating Officer) Rules, 2016, in rule 4,

(i) in sub-rule (1), -

(a) the words, brackets, figures and letters "or sub-sections (8) and (9) of section 42D" shall be omitted;

(b) after the words, figures and letters "or section 105B" the words, figures and letters "or section 105BA" shall be inserted.

(ii) in clause (b) of sub-rule (2), in sub-clause (ii), -

(a) for the word "intermediary", the words "insurance intermediary" shall be substituted.

(iii) in sub-rule (5), -

(a) for the words, brackets and figures "Evidence Act, 1872 (11 of 1872)", the words, brackets and figures "Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023)" shall be substituted.

[F. No. 12018/02/2021-Ins.II]

Dr. DEBASISH PRUSTY, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 178(E), dated the 17th February, 2016.